CNR No UPMH010033042021

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

सेशन परीक्षण संख्या–660 / 2021

उ0प्र0राज्य

बनाम

1–रमेश साहनी उर्फ जोगी पुत्र ओरी साहनी उम्र 35 वर्ष
2–चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही पत्नी ओरी साहनी उम्र 53 वर्ष
3–ओरी साहनी पुत्र स्व0 रामदीन उम्र लगभग 58 वर्ष
निवासीगण सेमरामहराज थाना पुरन्दपुर जिला महराजगंज
...अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–184 / 2021
धारा–498ए, 302 / 34, 201 भा0दं0सं0
थाना–पुरन्दरपुर, जिला–महराजगंज।

अभियोजन की ओर से	श्री अजीत कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी),
वादिनी के विद्वान अधिवक्ता–	श्री कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री एडवोकेट
अधिवक्तगण की ओर से–	श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट,
घटना की तिथि	21–08–2021
घटना का समय	समय अज्ञात
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	23–08–2021 समय 12:50 बजे
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषण की तिथि	08–11–2021

प्रकरण को सत्र सुपुर्द किये जाने की तिथि	02–12–2021
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन की तिथि	03–08–2022
अन्तिम बहस की तिथि	04–12–2025
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	11–12–2025
दण्डादेश की तिथि	12–12–2025

–::निर्णय::–

1– अभियुक्तगण रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही एवं ओरी साहनी का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–184 / 2021 धारा–498ए, 302 / 34, 201 भा0दं0सं0 थाना–पुरन्दरपुर, जिला–महराजगंज की पुलिस के द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर किया गया।

<u>अभियोजन कथानक</u>–

2– अभियोजन कथन संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी जुगुरा देवी पत्नी अवधू निवासी ग्राम सेमरहनी टोला सूरपार टांगिया, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज द्वारा थाना पुरन्दरपुर पर दिनांक 23–08–2021 को इस आशय का लिखित सूचना दिया कि उसकी बेटी श्रीजावत की शादी लगभग 10 वर्ष पहले रमेश पुत्र ओरी के साथ ग्राम सेमरामहराज थाना पुरन्दरपुर के साथ हुयी थी। दिनांक 21–08–2021 को रात में लगभग 11 बजे उसके दामाद ने उसकी बेटी से झगड़ा किया था और जब वादिनी ने कहा कि उसकी बेटी से बात कराओ तो उसके दामाद ने वादिनी को रात में फोन किया था। दिनांक 21–08–2021 को करीब 11 बजे रात में जब वादिनी के दामाद ने वादिनी की बेटी से बात कराया तो उसकी बेटी ने बताया कि उसकी सास चिनका देवी, ससुर ओरी एवं पति रमेश ने उसे मारा पीटा है और पहले भी उसकी बेटी के उपरोक्त ससुराल वाले वादिनी की बेटी का रंग रूप खराब बताते हुये मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा मारते–पीटते थे वादिनी को सन्देह है कि हो सकता है कि उसकी बेटी की ननद भी इस

काम में साथ देती हो। वादिनी ने कहा कि आज की रात बीत जाने दो सुबह हम लोग तुम्हारे ससुराल सेमरा महराज आयेंगे। कल वादिनी आदि लोग दोपहर में अपनी लड़की के ससुराल सेमरा महराज गये तो उसकी लड़की ससुराल में नहीं मिली। यह लोग अभी खोजबीन कर ही रहे थे कि सूचना मिली कि वादिनी की लड़की मृत पड़ी है। यह लोग सूचना मिलने के बाद नहर के पास आये। वादिनी को विश्वास है कि उसकी लड़की के ससुराल वाले उपरोक्त लोग उसकी लड़की को इतना प्रताड़ित किये कि वह डर कर या तो नहर में कूद गयी या उसके ससुराल वाले मारकर उसको नहर में फेंक दिये हो जिसमें बरसात का काफी पानी भरा है। वादिनी ने अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम कराकर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाय। वादिनी की सूचना पर दिनांक 23–08–2021 को समय 12:50 बजे थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज में अभियुक्तगण रमेश, चिनका देवी, ओरी एवं ननद नाम अज्ञात के विरूद्ध अपराध सं0–184/2021 अन्तर्गत धारा 498–ए, 306 भा0दं0सं0 दर्ज किया गया।

<u>पुलिस विवेचना</u>–

3– थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज की पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गयी और विवेचक ने साक्ष्य संकलन एवं विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त वर्तमान मामले में अभियुक्तगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही एवं ओरी साहनी** के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 498–ए, 302 एवं 201 भा0दं0सं0 दिनांक 08–11–2021 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने संज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्तगण के प्रकरण को विचारण हेतु आदेश दिनाँक 02–12–2021 द्वारा सेशन न्यायालय सुपुर्द किया।

<u>आरोप विरचन</u>–

5– दिनाँक 03–08–2022 को तत्कालीन विद्वान सेशन न्यायाधीश, महराजगंज ने अभियुक्तगण रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ

चन्नपुराही एवं ओरी साहनी के विरूद्ध धारा–498–ए, 302/34 एवं 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की माँग की।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवरणः–</u>

रैंक/श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–1	जुगुरा देवी	वादनी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	कोइली देवी	स्वतन्त्र साक्षी
पी0डब्लू0–3	राम सजन	स्वतन्त्र साक्षी
पी0डब्लू0–4	राजू गुप्ता	पंचनामा का साक्षी
पी0डब्लू0–5	मो0 इस्माइल	उपनिरीक्षक/औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–6	हेड मोहर्रिर	औपचारिक पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–7	डाक्टर वीरेश गुप्ता	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–8	रवि कुमार राय प्रभारी निरीक्षक	औपचारिक पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–9	पुरूषोत्तम राव थानाध्यक्ष	औपचारिक पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–10	सत्येन्द्र कुमार राय	विवेचक/पुलिस साक्षी

<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श प्रपत्रों का विवरणः–</u>

प्रदर्श संख्या/साबित करने वाले साक्षी का नाम	प्रदर्श प्रपत्र का विवरण
प्रदर्श क–1 वादनी जुगुरा देवी	लिखित तहरीर
प्रदर्श क–2, मो0 इस्माइल उपनिरीक्षक	पंचनामा
प्रदर्श क–3 ʼʼ	पत्र प्रतिसार निरीक्षक
प्रदर्श क–4 ʼʼ	पत्र सी0एम0ओ0
प्रदर्श क–5 ʼʼ	चालान लाश
प्रदर्श क–6 ʼʼ	फोटो नाश
प्रदर्श क–7 ʼʼ	नक्शा नजरी
प्रदर्श क–8 ʼʼ	नक्शा नजरी
प्रदर्श क–9 पी0डब्लू0–6 रामनाथ हेड मोहर्रिर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श क–11 ʼʼ	जी0डी0 कायमी
प्रदर्श क–11 पी0डब्लू0–7 डा0 वीरेश	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

गुप्ता प्रदर्श क–12 '' प्रदर्श क–13 ''	फर्द बरामदगी गिरफ्तारी प्रपत्र
प्रदर्श क –14 पी0डब्लू0–8 रवि कुमार राय	''
प्रदर्श क–15 पी0डब्लू0–9 पुरूषोत्तम राव	एफएसएल रिपोर्ट
प्रदर्श क–16 पी0डब्लू0–10 सत्येन्द्र कुमार राय	आरोप पत्र

धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता–

6– अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण का कथन दिनांक 29–10–2024 को तत्कालीन विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश कोर्ट नं0–1, महराजगंज द्वारा धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत लिपिबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये अभियोजन कथानक को गलत बताया, साक्षियों द्वारा झूठा साक्ष्य देने का कथन करते हुये औपचारिक साक्षियों द्वारा गलत रूप से प्रपत्रों को साबित किया जाना कहा है और अभियोजन साक्षीगण को एक ही गांव एवं वादिनी के करीबी होने के कारण झूठा साक्ष्य देने का कथन करते हुये उन्हें हितबद्ध साक्षी होना कहा है।

बचाव साक्ष्य–

7– अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य में **विनोद सिंह को डी0डब्लू0–1, रामदेव** को **डी0डब्लू0–2 एवं दुर्गेश साहनी** को **डी0डब्लू0–3** के रूप में प्रस्तुत किया गया है कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

9– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह

भलीभांति साबित है कि दिनांक 21–08–2021 से दस वर्ष पूर्व की अवधि में विभिन्न समय व स्थान पर ग्राम सेमरामहराज अन्तर्गत थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज में अभियुक्तगण रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही एवं ओरी साहनी ने रूपरंग खराब होने के कारण वादिनी जुगुरा देवी की पुत्री श्रीजावती जो कि अभियुक्त रमेश साहनी उर्फ जोगी की विवाहिता पत्नी थी, को शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया, अभियुक्तगण ने श्रीजावती को सिर में चोटें कारित कर उसकी साशय हत्या कारित किया और हत्या का साक्ष्य विलोपित करने के आशय से श्रीजावती के शव को गांव के पास स्थित निर्माणाधीन नहर में छिपा दिया, जो अभियोजन साक्ष्य से पूर्णतया साबित है और उक्त सभी आरोपों में अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

10– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन की ओर से तथ्य के प्रस्तुत साक्षीगण वादिनी के गांव एवं करीबी हितबद्ध साक्षी हैं। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर भिन्नता एवं महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य हैं। इसका अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा विरोध किया गया और तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित है, ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

11– प्रस्तुत मामले में अवधार्य प्रश्न यह है कि क्याः दिनांक 21–08–2021 से दस वर्ष पूर्व की अवधि में विभिन्न समय व स्थान पर ग्राम सेमरामहराज अन्तर्गत थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज में विचारित अभियुक्तगण रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही एवं ओरी साहनी ने रूपरंग खराब होने के कारण वादिनी जुगुरा देवी की पुत्री श्रीजावती जो कि अभियुक्त रमेश साहनी उर्फ जोगी की

विवाहिता पत्नी थी, को शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया, विचारित अभियुक्तगण ने श्रीजावती को सिर में चोटें कारित कर उसकी साशय हत्या कारित किया और हत्या का साक्ष्य विलोपित करने के आशय से श्रीजावती के शव को गांव के पास स्थित निर्माणाधीन नहर में छिपा दिया?

साक्ष्य का विवेचनः–

12– अभियोजन कथानक के समर्थन में परीक्षित **साक्षी सं0–1 जुगुरा देवी** जो कि इस घटना के मृतका की मां एवं वादिनी है, ने न्यायालय में दिनाँक 13–12–2022 को न्यायालय में शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि ''सिरजावत मेरी लड़की थी। सिरजावत की शादी घटना के 6 साल पहले किया था। उसकी शादी रमेश के साथ किया था। रमेश और सिरजावत के नुत्फे से एक लड़का और एक लड़की भी हैं। लड़के की उम्र 4 साल और लड़की की उम्र 2 साल है। सिरजावती और रमेश के नुत्फे से एक लड़की उत्पन्न हुयी है। घटना हुये एक साल चार महीना हुआ। समय 11:00 बजे रात का था। मेरे दामाद मेरी लड़की से मेरे पास फोन करवाये और कहे कि दो लाख रूपये दहेज मांग रहे हैं। यह रूपया ओरी, रमेश और चिनका देवी मांग रही थीं। उक्त रूपया सिरजावत की ननद भी मांग रही थी। मेरी लड़की केवल उसी दिन बतायी थी। उसके पहले नही बतायी थी। उस दिन तब बतायी थी जब मेरी लड़की को मारे पीटे थे। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुबह आयेंगे तब समझायेंगे–बुझायेंगे। मैं दूसरे दिन सिरजावती के घर सुबह 9:00 बजे पहुंची। उसके घर पर कोई नहीं था। तब मैं अपने लड़की की खोजबीन करने के बाद अपने घर चली आयीं फिर मेरी लडकी के गांव के लोग बताये कि आपकी लडकी सिरजावती को मार कर नहर में फेंक दिये हैं। उसी दिन मैं गयी तो देखी कि मेरी लड़की नहर में पड़ी थी। वहां पुलिस भी पहुंची थी। गोविन्द यादव से मैं लिखवा कर थाने में दरख्वास्त दी थी। पत्रावली में शामिल कागज सं0–4क/4 मूल तहरीर साक्षी को पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि शादी मैंने 6 वर्ष पहले

लिखवाया था और शेष बातें सही हैं जिस पर मेरा निशानी अंगूठा बना हुआ है। मैं लिखी बातें और निशानी अंगूठा का शिनाख्त करती हूं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस के लोग नहर के पास मेरी लड़की की लाश का पंचानामा तैयार किये थे तथा मेरी लड़की की लाश को सील मोहर करके चीर घर में भेजे थे। पत्रावली में शामिल कागज सं0 7क / 1, 7क / 2 मृतका सिरजावत का पंचायतनामा साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह पंचायतनामा वही है जो दरोगा जी ने लिख पढ़ कर सुना कर मेरा निशानी अंगूठा बनवाये थे जिस पर मैं अपने निशानी अंगूठा को शिनाख्त करती हूं। रमेश और चिनका देवी के पास से सिरजावती का पायल बरामद हुआ था और कुछ नहीं बरामद हुआ था। स्टील का राड और डन्डा रमेश और चिनका देवी ने निकाल कर पुलिस को दिया था। इसका लिखा पढ़ी मेरे सामने नहीं हुआ था। वहां से लेकर जब थाने पर गये तब उसकी लिखा पढ़ी थाने पर ही किये थे। पत्रावली में शामिल कागज सं0–10ख / 1 बरामदगी आला कत्ल एक अदद डन्डा साक्षी को दिखाया गया और पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह फर्द दरोगा जी लिख पढ़ कर सुना कर मेरा निशानी अंगूठा बनवाये थे जिसको मैं शिनाख्त करती हूं। मेरी लड़की सिरजावत की शादी का कोई कार्ड नहीं छपा था परन्तु ज्यादे दिन होने के कारण शादी का कार्ड नहीं है। दरोगा जी मेरा बयान लिये थे।''

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे चार बच्चे हैं। सिरजावत सबसे बड़ी लड़की थी। पत्रावली में शामिल कागज सं0–4क / 3 चिक के पैरा 14 जहां पर हस्ताक्षर लिखा हुआ है वहां पर मेरा निशानी अंगूठा नहीं है। दरोगा जी मुझसे निशानी अंगूठा लगाने के लिये कहे थे लेकिन मैंने नहीं लगाया और जगह पर निशानी अंगूठा बनाया था, केवल इसी कागज पर नहीं बनाया था। मेरे पति हैं, वह मजदूरी करते हैं। इस घटना के पहले भी सिर्फ एक बार अपनी लड़की के ससुराल गयी थी। गोविन्द यादव मेरे गांव के रहने वाले हैं। गोविन्द का घर मेरे घर से 2

मीटर की दूरी पर है। गोविन्द यादव के घर से मेरे घर के सम्बन्ध अच्छे हैं। मेरी लड़की सिरजावत शादी के बाद अक्सर अपने ससुराल में रह रही थी। मेरे दामाद कम्बाइन के ड्राइवर हैं। ठीक–ठाक देख कर मैंने शादी किया था। तीनों बच्चे मेरे घर पैदा हुये थे। रमेश तीनों बच्चों को ठीक–ठाक से नहीं रखता था। बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। उस समय (घटना के समय) बच्चे मेरे पास ही रह रहे थे। उस समय सिरजावत भी मेरे घर पर रह रही थी। रमेश घर पर ही रह कर कम्बाइन चलाते थे किसकी कम्बाइन चलाते थे, मझे इसकी जानकारी नहीं है। रमेश का कोई सदस्य बाहर कमाता है कि नहीं मैं नहीं जानती हूं। न्यायालय से समन मिलने पर गवाही देने आयी हूं। मेरी लड़की सिरजावत की लाश नहर में मिलने की खबर कौन दिया था उसका नाम मैं नहीं बता सकती हूं। 17ख स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकृत होने के कारण साक्षी का जिरह जारी रहा। दिनांक 13–12–2020 के बाद इस साक्षी का जिरह दिनांक 04–01–2023 को अंकित हुआ जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि ''जहां पर सिरजावजी की लाश पायी गयी थी, वह मेरे गांव से दो–तीन किलोमीटर की दूरी पर था। मेरी मुलाकात दरोगा जी से नहर पर हुयी थी, जहां लाश मिली थी। जहां लाश पायी गयी थी वहां नहर की खुदाई हो गयी थी। नहर में पानी आ गया था और बरसात का पानी भी था। मुख्य परीक्षा जब हो रही थी उस समय डन्डा न्यायालय में दिखाया गया था, मुझे अपना मोबाइल नम्बर याद नहीं है। जिस नम्बर से मेरे मोबाइल पर काल आया था उसका भी नम्बर याद नहीं है। जिस समय रमेश से मेरी बात मोबाइल से हुयी थी उसका भी नम्बर याद नहीं है। जिस समय रमेश से बात हुयी थी उस समय मैं अपने घर पर थी। मैंने शादी हुये 6 वर्ष बताया है जबकि दरोगा जी ने मेरे 161 दं0प्र0सं0 के बयान में 10 वर्ष लिखें हो तो इसका कारण मैं नहीं बता सकती हूं जिस दिन लाश मिली थी उसी दिन मेरी मुलाकात दरोगा जी से हुयी थी। इसके पहले भी दरोगा जी से मुलाकात हुयी थी।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाओं से इनकार किया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–1 मृतका की माता एवं इस केस की वादिनी है जिसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक की यथावत् पुष्टि होती है यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है।

13– **पी0डब्लू0–2 कोइली देवी** ने न्यायालय में दिनांक 19–01–2023 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''घटना हुये आज से एक साल पांच महीना हुआ। इस घटना में सिरजावत का देहान्त हुआ था। सिरजावत के पति का नाम रमेश साहनी है। जुगरा देवी मेरी समधिन हैं। इस घटना की सूचना थाने पर जुगुरा देवी ने दिया था। मैं भी थाने पर गयी थी तथा जहां लाश मिली थी वहां भी गयी थी। लाश सेमरा महराज नहर के पानी में मिली थी। वहो पर पुलिस के लोग लाश को निकलवाये थे। लाश को देखी थी। वह लाश सिरजावती की ही थी। दरोगा जी लाश को मरे सामने शव बैग में रख कर सील मुहर किये थे और लिखा पढ़ी करके मेरा निशानी अंगूठा भी बनवाये थे। पत्रावली में शामिल कागज सं0–7क/1, 7क/2 पंचायतनामा मृतका सिरजावती साक्षी को दिखाया गया और पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही पंचानामा है तो दरोगा जी ने लिख कर पढ़कर सुना कर मेरा निशानी अंगूठा बनवाये थे जिसको मैं शिनाख्त करती हूं। सिरजावती के लाश को देखी थी तो उसके शरीर में जो चोट आयी थी उसको दरोगा जी को बतायी थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''मैं नहर की पानी में नहीं गयी थी। सिरजावती का शव पानी में था। नहर में घुटना भर पानी था। नहर कि किनारे मिट्टी गजा था। लाश के पास कपड़ा भी था। उस समय 01:00 बज रहा था। मैं थाने पर 11:00 बजे पहुंच गयी थी। लाश भी आ गयी थी थाने पर। थाने पर जब मैं पहुंची तब 11:00 बजे दिन में पहुंची थी। उस समय लाश थाने पर थी। मैं थाने पर ही लाश देखी थी।

मैं थाने पर ही लाश देखी थी। दरोगा जी मुझसे निशानी अंगूठा लगवाये। जुगुरा देवी मेरी समधिन लगती है। इसी वजह से मैं उनके साथ थाने पर गयी थी। मेरे घर से थाना की दूरी एक किलोमीटर है। थाने पर ही मैं लाश को देखी थी। यह कहना सही है कि मैं थाने पर ही लाश को देखी थी।'' बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव से इस साक्षी ने इनकार किया है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–2 के उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है।

14— पी0डब्लू0–3 रामसजन ने न्यायालय में दिनांक 04–02–2023 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''एक साल पांच महीना कुछ दिन पहले मेरे ही गांव की लड़की सिरजावत जिसका विवाह सेमरा निवासी रमेश साहनी से हुआ था, की लाश सेमरा गांव से उत्तर–पूर्व तरफ नहर में चित अवस्था में उतराई हुयी थी। नहर में उस समय घुटने बराबर पानी था। नहर अभी नई–नई खोदी गयी थी। नहर में पानी बरसात का था। शव मिलने की सूचना पर मैं व मेरे गांव के कुछ लोग पहुंचे थे, वहां पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस ने मेरे सामने ही मृतका सिरजावत की लाश को नहर से निकलवाया था। वहां मौजूद लोगों में से 5 लोगों को पंच नियुक्त किया था जिसमें मैं भी एक पंच था। मृतका की लाश को मैंने देखा था। उसके शरीर पर 7 चोटों के निशान थे। तीन चोट सर पर दो चोट बांये हाथ पर एक चोट दाहिने पुट्ठे पर, एक चोट बांये जंघे पर था। देखने से लग रहा था कि उसको मारा गया है। दरोगा जी ने पंचायतनामें का कागज मेरे सामने लिखा था। मझे पढ़कर सुनाया था। सुनने के बाद मैंने उस पर अपना अंगूठा निशानी लगाया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0–7क / 1, 7क / 2 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही कागज है जिसको दरोगा जी ने पंचायतनामा करते

समय लिखा था। पढ़कर सुनाकर मेरा अंगूठा निशानी लगवाया था। साक्षी को अंगूठा निशानी दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि प्रपत्र पर बना अंगूठा निशानी जो सबसे नीचे है, मेरा ही है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। इसके ठीक 4 दिन के बाद पुलिस रमेश व उसकी मां चिनका देवी व मेरे गांव की मृतका की मां व सेमरा के प्रधान विनोद सिंह, सेमरा में चिनका देवी के घर पहुंचे, मैं भी वहां मौजूद था। रमेश आगे–आगे चल कर अपने घर में स्थित एक कमरे में से तख्त के नीचे से एक स्टील का राड निकाल कर दिया और बताया कि यह वही राड है जिससे मैंने सिरजावत को मारा था। चिनका देवी भी आगे–आगे चल कर अपने कमरे में घुसकर तख्त के नीचे से डन्डा निकालकर दिया। उस समय मैं भी चिनका देवी के पीछे खड़ा था। चिनका देवी ने डन्डा देते कहा कि मैंने इसी से अपनी बहू को मारा था। सभी बरामदशुदा वस्तुओं को दरोगा जी ने मौके पर ही सील मुहर किया औेर एक कागज की लिखा पढ़ी किया। पत्रावली में शामिल कागज सं0–10ख / 1 फर्द बरामदगी आला कत्ल लोहे की राड व डन्डा साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही कागज है जिसको दरोगा जी ने स्टील का राड व डन्डा बरामद होने पर लिखा था, मुझे पढ़कर सुनाया था। उसके बाद मैने अपना निशानी अंगूठा लगाया था जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था और यही बात मैंने दरोगा जी को बताया था।

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में के बयान में कथन किया है कि ''मुझे जुगरा ने बताया कि आज बयान देने न्यायालय जाना है। जुगुरा मेरे गांव की है। जुगरा ने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या कहना है। मैं जिस बस से आया हूं। मैं मजदूरी करता हूं गारा–माटी का काम करता हूं। मैं सूरपार नर्सरी, सेमरहनी मौजा का रहने वाला हूं। मेरे घर से सेमरा महराज की दूरी 10 किमी0 है। मैं अंदाज से बता रहा हूं। पढ़ा लिखा नहीं हूं। सिरजावती का दाह–संस्कार कहा हुआ था, मुझे पता नहीं है। सिरजावती का दाह–संस्कार कहां हुआ था, मुझे नहीं पता है। मैं दाह–संस्कार में शामिल

नहीं हुआ। मेरे घर का मामला नहीं है, इसलिये शामिल नहीं हुआ। मैं 2150–200/–रूपेय प्रतिदिन कमाता हूं। आज मैं मजदूरी पर नहीं गया हूं। आज मैं जिस बस से आया हूं उसका किराया स्वयं दिया हूं। मैं 8–9 बजे काम पर जाता हूं। मैं काम करके शाम को कितने बजे छूटता हूं, घर आ जाता हूं। प्रतिदिन काम नहीं मिलता है। मैं अंगूठा लगाता हूं। पढ़ा–लिखा नहीं हूं। मैं 5 वर्ष से मजदूरी का काम करता हूं। एक दिन करीता हूं 4 दिन घूमता हूं। साक्षी की जिरह जारी रही।

दिनांक 04–02–2023 के जिरह से आगे दिनांक 10–03–2023 को इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से पुनः प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''हमारे घर से पुरन्दरपुर थाने की दूरी 5 किलोमीटर है। इस घटना के सम्बन्ध में मैं एक बार भी थाने पर नहीं गया हूं। सिरजावती की लाश जिस कपड़े में लपेटा था वह लाल रंग का था। अज खुद कहा कि सफेद रंग का कपड़ा था। मैं जहां लाश पानी में थी वहां नहीं उतरा था। ऊंचे से नीचे पानी की तरफ मैने देखा था। थाने पर मैं नहीं गया था। इसलिये दरोगा जी से मुलाकात नहीं हुयी थी। मझे नहर पर कोई जाने के लिये बुलाया नहीं था जिस दिन मैं नहर पर गया था उस दिन मैं काम पर नहीं गया था। मैं चार दिन बाद जुगुरा के साथ थाने पर गया था। सिरजावती का दाह–संस्कार मैंने देखा था। मेरे गांव पर नहीं हुआ था। रमेश का घर मैं देखा हूं। वहीं मेरी रिश्तेदारी है। लाश पर कोई जेवर नहीं था, यह मैं नहीं देखा था। गोविन्द नाम के किसी व्यक्ति को मैं नही जानता हूं। मेरे घर और जुगुरा के घर की दूरी एक किलोमीटर है। मुझे थाने से नोटिस आया था गवाही के लिये तब मैं बदालमत में गवाही देने आया हूं। मैं दरोगा जी का नाम इसलिये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरी रिश्तेदारी रमेश साहनी के घर से थोड़ी दूरी पर है। रमेश के घर का दरवाजा पूरब तरफ है। जो मेरे रिश्तेदार हैं वह मर गये हैं। मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा। लड़कों का नाम मैं जानता हूं। लड़कों का नाम मैं नहीं जानता हूं। मैं जुगुरा के साथ थाने पर नहीं गया था। शीशम का पेड़ मैं देखा हूं। रमेश

के घर के पास कोई शीशम का पेड़ नहीं है। मैं जब अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर जाऊंगा तो पहले मेरे रिश्तेदार का घर पड़ेगा तब उसके बाद रमेश का घर पड़ेगा। जुगुरा के पति का नाम अवधू है। अवधू किसानी का काम करते हैं। लोहा वगै0 ढ़ोते हैं। जब से मैं जन्मा हूं तब से अवधू को जानता हूं क्योंकि गांव के हैं।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाओं से इनकार किया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–3 के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है क्योंकि यह साक्षी मृतका के शव के पंचायतनामें का भी गवाह है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है।

15– पी0डब्लू0–4 राजू गुप्ता ने न्यायालय में दिनांक 15–12–2023 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''मैं श्रीजावत को जानता हूं। श्रीजावत की शादी रमेश निवासी सेमरामहराज के साथ हुआ था। श्रीजावत की मृत्यु 23–08–2021 को हुयी थी। श्रीजावत का शव गांव सेमरा महराज से पूरब नाले में मिला था। श्रीजावत के शव का पंचायतनामा वहीं मौके पर पुलिस ने तैयार किया था और उसके शव को किट बैग में सील–मोहर करके पोस्टमार्टम के लिये भेजा था। पंचायतनामा की लिखा पढी दरोगा जी ने किया था। उस पर मैंने हस्ताक्षर बनाया है। शामिल पत्रावली कागज सं0–7क / 1, 7क / 2 पंचायतनामा मृतका श्रीजावत साक्षी को दिखाया तो साक्षी ने कहा कि यह वहीं पंचायतनामा है जो दरोगा जी लिखकर मेरा हस्ताक्षर बनवाये थे। मैं अपने बने हुये हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। श्रीजावत के शव को मैने देखा था। उसके शरीर पर चोट था और शव की चमडी उधडी हुयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''आज मैं अपने साधन से आया हूं। मैं खेती करता हं। मैं भूज जाति का हूं। साक्षी की प्रतिपरीक्षा जारी रही।

दिनांक 23–04–2024 को इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं लिखा हुआ पढ़ लेता हूं। पत्रावली में शामिल कागज सं0–7क/2 में चोट शीर्षक के आगे यह लिखा हुआ है कि ''स्त्रीहया का पूर्णतया ध्यान रखते हुये मृतका के जिस्म पर चोटों का निरीक्षण सूक्ष्मता से महिला कान्सटेबिल प्रीति सिंह और जुगुरा से कराया गया, कोई जाहिरा चोट दिखायी नहीं दे रही है।'' साक्षी ने उक्त बातें पढ़कर बताया। थाने पर मैं अकेले गया था। थाने पर मैं अकेले गया था थाने पर किसी कागज पर हस्जाक्षर नहीं बनवाये थे। थाने पर केवल पंचायतनामा पर दस्तखत बनवाये थे और किसी पर दस्तखत नहीं बनवाये थे जुगुरा के घर से मेरे घर की दूरी 200 मीटर है। जुगुरा मेरी भौजाई लगती है। मेरा जुगुरा और उसके परिवार से अच्छा सम्बन्ध नहीं है। मेरे घर से थाने की दूरी 5 किमी0 है। गांव वालों के चर्चा होने पर और गांव वालों के बतानें पर मैं थाने पर गया था। थाने पर ही मेरी मुलाकात दरोगा जी से हुआ था। आज मैं बयान देने अकेले आया हूं।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव से इनकार किया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–4 के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है क्योंकि यह साक्षी मृतका के शव के पंचायतनामें का भी गवाह है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है।

16— पी0डब्लू0–5 मो0 इस्माइल उपनिरीक्षक ने न्यायालय में दिनांक 02–07–2024 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि ''मैं दिनांक 23–08–2021 को बतौर उप निरीक्षक थाना

पुरन्दरपुर जिला महराजगंज में कार्यरत था। उक्त दिनांक को वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर रपट नं0–19 समय 12:50 बजे मु0अ0सं0 184 / 21 धारा 498ए, 306 भा0दं0सं0 पंजीकृत हुआ था। जिसके शव मिलने की सूचना पर पंचायतनामा की कार्यवाही करने हेतु मेरे थाने के होमगार्ड दुर्गेश चौहान महिला कान्सटेबिल प्रीति सिंह, नकल चिक, नकल रपट, जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात व शव किट लेकर थाने से कां0 संजय यादव के साथ रवाना हुआ था जो उस समय कार्य सरकार में क्षेत्र में मामूर था। थाना कार्यालय से जरिये दूरभाष सूचना प्राप्त होने पर मैं भी प्रस्थान करके ग्राम समेरा में निर्माणाधीन सरजू नहर पर पहुंचा। वहां पर थाने के सभी कर्मचारीगण मौजूद मिले। उनसे सम्बन्धित कागजात व जिल्द पंचायतनामा प्राप्त किया। वहां पर प्रभारी निरीक्षक हमराहियान के साथ आ गये थे। मृतका सिरजावत का शव औधे मुंह बरसाती पानी जो गहरा था में पड़ा था। वहां पर गांव व आस–पास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा थी। उक्त भीड़ में से पांच लोगों को पंच नियुक्त किया तथा उक्त पंचों के सहयोग से बांस की लग्गी की सहायता से शव को पानी से निकलवा कर सड़क पटरी पर रखवाया तथा पंचों के समक्ष शव महिला का होने के कारण बापर्दा मृतका की माता वादिनी जुगुरा देवी व महिला कान्सटेबिल प्रीति सिंह से शव का उलट–पलट कर सूक्ष्मता से शव की चोटों का निरीक्षण कराया गया। कोई जाहिरा चोट दिखायी नहीं दे रही थी। शव पानी में होने के कारण फूल गयी थी शव के चमड़े जगह–जगह उधड़ रहे थे। मृतका के नाक पानी मिला हुआ खून अल्प मात्रा में आ रहा था। मृतका के शरीर पर जगह–जगह फफोले पड़ गये थे मेरे द्वारा सभी पंचो से अलग–अलग व सामूहिक रूप से मृत्यु का कारण पूछा गया तो सभी न मृतका मृत्यु पानी में डूबने के कारण बताया परन्तु मृतका की मृत्यु का वास्तविक कारण जानना जरूरी था। मुझ उपरीक्षक की राय भी पंचानों की राय से मेल खा रही थी। मृतका के शव को काले रंग की पन्नी में रख कर बाडी बैग में रखवा कर चैन बन्द कर सील–मुहर किया तथा नतूना मोहर तैयार किया जतथा पंचायतनामा प्रपत्र मौके पर ही लिख कर

पढ़ कर सुनाकर पंचों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगवाये गये तथा मैंने व मेरे हमराहियानों ने अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये। पत्रावली में शामिल कागज सं0–7क / 1 ता 7क / 2 पंचनामा प्रपत्र साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही पंचनामा पपत्र है जिसे मैंने मौके पर लिख कर पढ़ कर सुना कर अपने तथा पंचानों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगवाये थे जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0–10ख / 17 पत्र आर0आई0, 10ख / 18 पत्र सी0एम0ओ0, 10ख / 19 चालान लाश, 10ख / 20 फाटोनाश मेंरे द्वारा तैयार किया गया है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6 डाला गया तत्पश्चात मैं इस मुकदमें की विवेचना पंचनामा की कार्यवाही करने के पश्चात ग्रहण करते हुये दिनांक 23–08–2021 को पर्चा नं0–1 किमता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयानलेखक एफ0आई0आर0 वादिनी जुगुरा देवी का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। वादिनी ने घटनास्थल व तहरीर का समर्थन करते हुये बयान दिया तथा उसी दिन मृतका सिरजावत की लाश मिलने वाले स्थान का वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार कर उसका उल्लेख केस डायरी में किया। पत्रावली में शामिल कागज सं0 5क / 2 नक्शा नजरी शव मिलने का स्थान बहद सेमरा महराज निर्माणाधीन सरजू नहर को साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह नक्शा नजरी मेरे द्वारा मेरे हस्तलेख में तैयार किया गया है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा उसी दिन वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर बहद ग्राम सेमरा महराज घटनास्थल जहां मृतका को प्रताड़ित किया जाता रहा है, जहां वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर पहुंच कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0 5क / 1 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह नक्शा नजरी मेंरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। तत्पश्चात पी0एम0 रिपोर्ट प्राप्त होने

के पश्चात इस मुकदमें की विवेचना प्रभारी निरीक्षक रवि राय द्वारा ग्रहण की गयी।''

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''मैं इस समय पुलिस कार्यालय, महराजगंज में कार्यरत हूं। मैं पुरन्दरपुर में वर्ष 2021 में तीन महीने के लिये था। महीना याद नहीं है। यह कहना सही है कि जिस समय मैने पंचनामा की कार्यवाही किया था उस समय मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। मैंने जो पंचान चुना था उसमें जुगुरा देवी भी थी। जुगुरा देवी ने मुझे बताया था कि मृतका की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुयी है। मुझे पंचनामा करने के लिये दिन में एक बजे सूचना मिली थी। उस दिन 23–08–2021 की तारीख थी। मैं आधा घन्टा में ही मौके पर पहुंच गया था क्योंकि मैं क्षेत्र में ही था। मैने लाश मिलने वाले स्थान का नक्शा नजरी वादिनी मुकदमा के निशानदेही पर बनाया था। चौहद्दी भी मैने उसी के आधार पर बनायी थी। मैंने वादिनी मुकदमा की बतायी हुयी चौहद्दी को शेष अन्य पंचान से पूछा था। मैने वादिनी मुकदमा का बयान दर्ज किया था। यह कहना सही है कि वादिनी मुकदमा ने अपने बयान में बताया था कि मेरे लड़की की शादी रमेश साहिनी से 10 वर्ष पूर्व हुआ था। यह कहना सही है कि वादिनी ने मुझे अपना बयान दिया था। उसने दहेज के रूपये पैसे के लिये मृतका सिरजावती को उसके ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। दहेज के पैसे के लिये मारने–पीटने की बात भी नहीं बतायी थी। जिस समय मैं दूसरा नजरी बनाने अभियुक्त के घर गया था उस समय अभियुक्त के घर पर कोई नहीं था। घर में ताला बन्द था या नहीं, इस समय याद नहीं है। मैं घर के अन्दर नहीं गया था। पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन मेरे द्वारा नहीं किया गया था। यह सही है कि मृतका के हाथ में कांच की चूड़ियां, कंगन, सफेद धातु की पायल, दोनो पैर में बिछुआ, पीनले रंग की रिंग जो नाक में पहनी थी और सिर पर बिन्दी भी लगा हुआ था जो सही स्थिति व सही रूप में था। चूड़ी सही सलामत था। कोई

टूट–फूट नहीं था। मैंने मुल्जिमानों के घर में कोई बरामदगी नहीं किया था।''

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी एक औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा मृतका के शव के पंचायतनामा सम्बन्धी एवं अन्य पुलिस प्रपत्र तैयार करने का साक्षी है जिसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

17– पी0डब्लू0–6 रामनाथ हेड मोहर्रिर ने न्यायालय में दिनांक 10–07–2024 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''मै दिनांक 23–08–2021 को बतौर हेड मोहर्रिर थाना कार्यालय पुरन्दरपुर के कार्यलेख पर मौजूद था। उकत दिनांक को वादिनी मुकदमा श्रीमती जुगुरा देवी निवासी सेमरहनी टोला सूरपार टांगिया थाना पुरन्दपुर थाने पर आकर एक किता हिन्दी लिखित तहरीर खुद का निशानी अंगूठा लगा हुआ जिसको गोविन्द यादव द्वारा लिखा गया था, अपनी लड़की सिरजावत के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में थाने पर दिया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष / एस0ओ0 महोदय के मोखिक निर्देश पर तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 184 / 2021 धारा 498ए, 306 भा0दं0सं0 घटना दिनांक 21–08–21 समय 11:00 बजे घटनास्थल बहद ग्राम सेमरा महराज थाने पर सूचना दिनांक 23–08–21 समय 12:50 बजे बनाम रमेश, चिनका देवीर, ओरी व ननद निवासी सेमरा महराज कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोल कर टाईप कराया था तथा इस मुकदमें की कायमी जी0डी0 नं0 19 दिनांक 23–08–2021 समय 12:50 बजे मेरे द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0 से बोल–बोल कर टाईप करवाया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0–4क / 1 ता 3 चिक एफ0आई0आर0 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह एफ0आई0आर0 मेरे द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0 से बोल–बोलकर टाईप करवाया गया है, इसकी मैं शिनाख्त करता हूं इस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। पत्रावली में शामिल

पेपर सं0– 9ख/4 जी0डी0 कायमी आमद तहरीर साक्षी को दिखाया गयातो साक्षी ने बताया कि यह कायमी जी0डी0 भी मेरे द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0 से बोल–बोल कर टाईप कराया गया जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि'' इस समय मैं थाना पुरन्दरपुर में तैनात हूं। मैं 02–08–2021 से थाना पुरन्दरपुर में तैनात हूं। तहरीर लेखक गोविन्द यादव से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुयी थी। मैं तहरीर बोल–बोल कर सी0सी0टी0एन0एस पर टाइप कराया था। जिस समय तहरीर मिला, समय याद नहीं आ रहा है। यह कहना सही है कि जो तहरीर मुझे प्राप्त हुआ और मैंने बोल–बोल कर सी0सी0टी0एन0एस0 पर टाईप कराया था उसमें यह तथ्य नहीं लिखा था कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की लड़की मृतका सिरजावती को दो लाख रूपये दहेज के लिये मारा पीटा और प्रताड़ित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक महोदय के मौखिक आदेश पर ही मैंने तहरीर बोल कर टाईप कराया था। जिस समय टाईप करा रहा था उस समय लाश थाने पर नहीं थी। यह कहना सही है कि मैंने प्रभारी निरीक्षक के आदेश के क्रम में तहरीर टाईप करा दिया था। तहरीर में लिखे तथ्यों के सम्बन्ध में कोई छानबीन नहीं की। पत्रावली में शामिल कागज सं0 4क/3 नकल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम संख्या–14 जो शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर के कालम में वादिनी का हस्ताक्षर नहीं कराया था।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव को इनकार किया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी एक औपचारिक/पुलिस साक्षी है जिसके द्वारा मुकदमा दर्ज होने से सम्बन्धित कार्यवाही के बारे में साक्ष्य दिया गया है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

18– पी0डब्लू0–7 डा0 वीरेश गुप्ता ने न्यायालय में दिनांक 24–07–2024 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि ''मैं दिनांक 23–08–2021 को बतौर चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 घुघुली पर तैनात था। उक्त दिनांक को मेरी डियूटी पोस्टमार्टम हाउस महराजगंज पर लगी थी। उक्त दिनांक को एक महिला जिसका नाम सिरजावत था, का शव उम्र 30 वर्ष पत्नी रमेश साहनी निवासी सेमरामहराज थाना पुरन्दरपुर जिला महराजगंज के शव को एस0ओ0 पुरन्दरपुर द्वारा वाडी बैग में सील मोहर कर आवश्यक प्रपत्रों के साथ भेजा गया था। उक्त शव को कां0 संजय कुमार यादव व होमगार्ड दुर्गेश यादव थाना पुरन्दरपुर द्वारा लाया गया था। शव के साथ मृतका के परिजन हीरालाल पुत्र रघुवर व रामसजन पुत्र गोमती निवासी सेमरहनी थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज भी आये थे। परिजनों के सामने ही शव किट पर लगे सील खोले गये तथा परिजनों से मृतका के शव की पहचान करायी गयी। मृतका के शरीर की लम्बाई 160 संमी0, सामान्य कद काठी, शरीर के सभी अंगों से अकड़न समाप्त हो चुकी थी। दोनो आंखें व जीभ बाहर निकली थी। मुंह आधा खुला हुआ था। शरीर पर चमड़े जगह–जगह उधड़े हुये थे और शरीर पर जगह–जगह हरे रंग के चकत्ते पड़े हुये थे। पेट फट गया था और अंतड़ियां बाहर आ गयी थी और शव से दुर्गन्ध आ रही थी। चेहरा व गला सूज गया था। नाक व मुंह से खून आ रहा था।

मृत्युपूर्व चोटें:–

चोट नं0–1:–कन्ट्यूजन 6X 5 सेमी0 की साइज में ललाट के मध्य नाक से 6 सेमी0 ऊपर मौजूद था।

चोट नं0–2 कन्ट्यूजन 12X 10 सेमी0 की साइज में टाप आफ हेड पर मौजूद था।

चोट नं0–3 कन्ट्यूजन 4X 3 सेमी0 की साइज में सिर में दाहिने तरफ मौजूद था।

चोट नं0–1, 2 व 3 को काटने पर हीमोटोमा पाया था जो दिमाग की झिल्लियेां पर मौजूद था और ब्रेन मुलायम हो गया था और ब्रेन पर जगह–जगह खून के थक्के जमें हुये थे, उस खून के थक्कों की नाप नहीं की जा सकी थी।

चोट नं0–4ः– कन्ट्यूजन 6X 4 सेमी0 बांये हाथ के कन्धे से नीचे व कोहनी के ऊपर बाहर की ओर मौजूद था जिसको काटने पर हीमोटोमा पाया गया था।

चोट नं0–5ः– कन्ट्यूजन 4X 3 सेमी0 बांये हाथ के अग्रबाहु के मध्य में कलाई से ऊपर था।

चोट नं0–6ः– कन्ट्यूजन 5X 4 सेमी0 बांयी जांघ पर बाहर की तरफ मौजूद था।

चोट नं0–7ः– कन्ट्यूजन 3X 2 सेमी0 दाहिने कूल्हे पर बाहर की तरफ मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षणः–

ब्रेन व मेम्ब्रेन के विषय में ऊपर वर्णन किया जा चुका है। स्पाइनल कार्ड नहीं खोला गया। प्लूरा कैविटी कन्जेस्टेड था। दाहिना फेफड़ा 410 ग्राम बांया 480 ग्राम कन्जेस्टेड, हृदय का वजन 210 ग्राम आधा भरा था। छाती मं 300 एम0एल0 लगभग ब्लड भरा हुआ था। पेट की दशा के सम्बन्ध में बयान दिया जा चुका है। कैविटी और पेरीटोनियल कैविटी के बारे में ऊपर बयान दिया जा चुका है। आमाशय खाली था। छोटी आंत में पेस्टी मैटेरियल और गैस भरा था। बड़ी आंत में मल व गैस भरा था। यक1ृत सहित पित्ताशय का वजन 1260 ग्राम था। गाल ब्लेडर पूरा भरा हुआ था। स्पलीन मुलायम 120 ग्राम बांया गुर्दा 110 ग्राम दांया गुर्दा 100 ग्राम मूत्राशय आधा भरा था। गर्भाशय में कोई गर्भ नहीं था। मृत्यु का समय लगभग दो दिन पूर्व का था। **मृत्यु का कारण due to comma as a result of antimortem head injury था**। पी0एम0 रिपोर्ट तैयार करने की एक प्रति एस0पी0 महराजगंज को 10 संलग्नकों के साथ एक प्रति एस0ओ0 पुरन्दरपुर को सीलबन्द लिफाफा जिसमें एक ताबीज धागा

सहित, दो पायल, 6 बिछिया, 04 प्लास्टिक के कड़े तथा एक प्रति सी0एम0ओ0, महराजगंज को प्रेषित किया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0 6क पी0एम0 रिपोर्ट साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह पी0एम0 रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार किया गया और मेरे हस्तलेख में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। शामिल पत्रावली कागज सं0 7क/1 ता 7क/2 पंचनामा व कागज सं0 10ख/13,10ख/14, 10ख/15, 10ख/16, 10ख/17, 10ख/18, 10ख/19, 10ख/20 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि इन सभी प्रपत्रों पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था।

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''इस समय भी मैं घुघली में तैनात हूं। चोट नं0–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी चोटें वाडी के ऊपर से ही देखने पर ही दिख रही थी। वाडी का कलर पीलापन था। शरीर पर जगह–जगह ग्रीन कलर के धब्बे थे और जगह–जगह चमड़ी उधड़ी हुयी थी। शव की पहचान कां0 संजय यादव व दुर्गेश यादव ने किया कि यह शव मृतका का है। पैन्क्रियाज में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। गुर्दा, पैनक्रियाज, आमाशय, यकृत व शरीर के अन्य अंग नार्मल थे। शरीर के अन्दरूनी अंगों पर डीकम्पोजीन का प्रभाव पड़ता है।

प्रश्नः– पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्न अंगों के सम्बन्ध में एन ए डी का उल्लेख है। क्या इसका मतलब यह है कि क्या इन अंगों में कोई क्षरण या सड़न (Decompossion) नहीं था। यह माना जाय?

उत्तरः– डीकम्पोजीशन के परिवर्तन के निशान थे। चोटों के निशान नहीं थे, इसलिये एन ए डी लिखा था।

जिन चोटों को पी0एम0 रिपोर्ट में दर्शित किया गया है वह काली लिये हुये सूजन थी। बाडी की जो चमड़ी निकल रही थी वह सड़न व पानी के प्रभाव के कारण थी। शरीर से जहां चमड़ी उधड़ रही थी वहां से पानी का रिसाव (Serous haid) हो रहा था। मृत्यु की अवधि जो मैंने बतायी

है वह अनुमान आधारित है। इसमें 4–5 घन्टे का अन्तर हो सकता है। शरीर की त्वचायें सड़ी नहीं थीं। शरीर की त्वचायें तीन घन्टे बाद सड़नी शुरू हो जाती हैं परन्तु स्पष्ट रूप से 24 घन्टे बाद ही दिखती हैं। मैंने विसरा प्रिजर्व नहीं किया था। जिन चोटों का मैंने पी0एम0 में जिक्र किया है उनमें फ्रैक्चर नहीं था। जिन चोटों का पी0एम0 में जिक्र है उनमें रक्तस्राव की कोई सम्भावना नहीं है और न ही उसमें बाहरी रूप से रक्त का स्राव हुआ है। अगर मृतका जीवित होती तो पी0एम0 रिपोर्ट में दर्शायी गयी चोटें बाहर से देखने पर साधारण प्रतीत होतीं। मृतक को आयी चोटें मृत्यु पूर्व की चोटें इस आधार पर दर्शायी गयी हैं कि मृतका के सिर पर आयी चोटों को खोल कर देखने पर मस्तिष्क में रक्त के थक्के पाये गये और इसके सिवाय मृतका के शरीर का अवलोकन करने पर मृत्यु का अन्य कोइ्र कारण प्रतीत नहीं होता है। इसी आधार पर मैंने यह अनुमान लगाया कि यह चोटें मृत्यु पूर्व की हैं। मृत्यु का और कोई कारण मुझे प्रदर्शित नहीं हो रहा था इसलिये मैने मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम इंजरी प्रदर्शित किया है।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाओं से इनकार किया

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने के तथ्य का साक्षी है जिसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है।

19– पी0डब्लू0–8 रवि कुमार प्रभारी निरीक्षक ने न्यायालय में दिनांक 03–09–2024 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''मैं दिनांक 26–08–2021 को थाना पुरन्दरपुर में बतौर एस0एच0ओ0 तैनाम था। इस मुकदमें के पूर्व विवेचक द्वारा विवेचना की जा रही थी। पी0एम0 रिपोर्ट व वादिनी के बयान से धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 का मामला आयत होना पाया जा रहा था। इस कारण उक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्रभारी निरीक्षक द्वारा उप निरीक्षक मो0 इस्माइल से लेकर स्वयं ग्रहण किया गया। मेरे द्वारा पर्चा नं0–2 दिनांक 26–08–2021 को

किता किया गया जिसमें वादिनी मुकदमा के बयान व पी0एम0 रिपोर्ट के अवलोकन से अभियोग में धारा 302, 201 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी करते हुये धारा 306 भा0दं0सं0 की घटोत्तरी की गयी। इसी पर्चे में तरमीमी नकल रपट का अवलोकन,, पी0एम0 रिपोर्ट की प्रति का अवलोकन तथा पी0एम0 कर्ता डा0 वीरेश गुप्ता सी0एचसी0 घुघली का बयान अंकित किया गया। दिनांक 27–8–21 को पर्चा नं0–3 मेरे द्वारा किता करके हुये अभियुक्तगण रमेश साहनी उर्फ जोगी पुत्र ओरी साहनी एवं चिनका देवी पत्नी ओरी साहनी की गिरफ्तारी के साथ–साथ अभियुक्तगणों का बयान लिया गया तो बताया किः रमेश साहनी ने बताया कि मैंने व मेरी मां ने हत्या करने की नीयत से मैंने अपने हाथ में स्टील का राड लिया और मेरी मां ने हाथ में बांस का डन्डा लेकर अपनी पत्नी के सिर पर कई वार व जांघ पर तथा पीछे के भाग पर मिलकर डन्डे व राड से मारा गया जिससे मेरी पत्नी की मौके पर मृत्यु हो गयी। उसके बाद चादर में लपेट कर हम व हमारी मां गांव के पूरब उत्तर स्थित निर्माणाधीन नहर जिसमें पानी था, चादर सहित ले जाकर फेक दिया। दूसरे दिन किसी ने पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस आ गयी थी। मैं भी नहर पर पहुंचा था, कुछ देर रूका था। मुझे लगा कि पुलिस के लोग हमें पकड़ लेंगे, इसी डर से मैं भाग गया। जिस राड से मैंने अपनी पत्नी की हत्या किया है उसको छुपाकर रखा हूं, चल कर बरामद करा सकता हूं तथा चिनका देवी ने भी जुर्म स्वीकार करते हुये अपना बयान दिया कि मैने बांस के डन्डे से अपनी बहू सिरजावती के सिर पर वार किया था। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और यह भी बताया कि उस डन्डे को मैंने बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है, चल कर बरामद करा सकती हूं। मेरे लड़के द्वारा छिपाया गया राड तख्ते के नीचे हैं, मेरे घर पर ही है। बरामद करा सकते हैं। दोनो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर बाउम्मीद बरामदगी आला कत्ल कर्मचारीगण महिला व पुरूष के साथ ग्राम सेमरा महराज पहुंचा जहां पर अभियुक्ता चिनका देवी द्वारा आगे–आगे चल कर अपने मकान में घुस कर तख्त के नीचे छिपाकर रखा हुआ एक अदद डन्डा निकाल कर दिया और

कहा कि यह वही डन्डा है जिससे मैने अपने बहू सिरजावती को मारा था। डन्डे को समझ गवाहान कब्जे में लेकर तथा विवेचना किट से इंच, टेप निकाल कर इसकी माप की गयी तो डन्डा में 43 गांठ 3 पोर है तथा इसकी लम्बाई 91 सेमी0 व मोटाई 16 सेमी0 है जिस पर खून लगा है या नहीं। अभियुक्त रमेश जोगी ने भी आगे—आगे चल कर अपने कमरे में घुस कर तख्त के नीचे छुपाकर रखा हुआ स्टील का राड निकाल कर दिया और बताया कि यह वही राड है जिससे मैंने अपनी पत्नी सिरजावती को मारा था जिसे समक्ष गवाहान दोनो डन्डा व राड को कब्जा पुलिस में लिया गया। राड की लम्बाई 87 सेमी व मोटाई 5.5 सेमी सफेद स्टील का राड है। बरामदशुदा आला कत्ल डन्डा व स्टील राड को सफेद कपड़े में सील मोहर कर नूमना मोहर तैयार कर फर्द बनायी गयी और गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी तथा अभियुक्तगण की गिर्फतारी की सूचना उचित माध्यम से उनके रिश्तेदारों को दी गयी। पत्रावली में शामिल कागज सं0—14ख/1 फर्द बरामदगी आला कत्ल साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह फद्र मेरे द्वारा कां0 मनीष पटेल से बोल—बोल कर लिखवाया गया इस पर बना हस्ताक्षर मेरा है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क—12 डाला गया तथा फद्र का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया। पर्चा सं0—4 दिनांक 05—09—21 को मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें मूल पंचायतनामा व मूल पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 13—09—21 को पर्चा नं0—5 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें मूल पंचायतनामा व मूल पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 13—09—2021 को पच्रा नं0—5 मेंरे द्वारा कता किया गया जिसमें पंचायतनामा व फर्द बरामदगी आला कत्ल प परिस्थितिजन्य साक्षीगण विनोद सिंह पुत्र सव0 रामनगीना सिंह व रामसजन पुत्र गोमती का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं0—6 दिनांक 21—09—21 को मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें वांछित अभियुक्त ओरी की गिरफतारी हेतु दबिश दी गयी परन्तु दस्तयाब नहीं हुआ। उसी दिन

स्वतन्त्र साक्षी रामदेव पुत्र मिठाई दास, दुर्गेश साहनी पुत्र रामआसरे साहनी का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 23–09–21 को पर्चा नं0–7 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें वादिनी स्वयं पंचायतनामा के गवाहान को लेकर थाने आयी थी। पंचायतनामा के गवाहान राजू गुप्ता पुत्र रामदेव गुप्ता, कोइली देवी पत्नी रामतिलक का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 27–09–21 को पर्चा–8 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें अभियुक्त ओरी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी परन्तु दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 30–09–2021 को पर्चा नं0–9 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें अभियुक्त ओरी पुत्र रामदीन को गिरफ्तार कर उसका बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। उसको मनिकौरा पेट्रौल पम्प के थोड़ा आगे से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ओरी द्वारा बयान में बताया गया कि हम तीनों लोग अपनी बहू सिरजावती से काफी परेशान रहा करते थे। आये दिन परिवारवालों से लड़ाई–झगड़ा करती थी तो हमने अपना पिण्ड छुड़ाने के लिये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहू को जान से मार देने के लिये अपनी पत्नी को डन्डा पकड़ा दिया तथा अपने बेटे के साथ मिल कर हम लोगों ने अपनी बहू सिरजावत को राड व डन्डे से मारा पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद बहू की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिये हम तीनों ने मिल कर अपनी बहू की लाश को नहर में ले जाकर फेक दिया। तत्पश्चात तमामी विवेचनात्क कार्यवाही बयान स्वतन्त्र साक्षी व अन्य गवाहानों के बयान से धारा 34 भा0दं0सं0 का भी होना जुर्म में साबित हो रहा है। अभियोग में धारा 34 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी। अग्रिम विवेचना धारा 34, 498ए, 302, 201 भा0दं0सं0 में की गयी। तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0 10ख / 7 गिरफतारी प्रपत्र अभियुक्त रमेश साहनी उर्फ जोगी व चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही पत्नी ओरी साहनी को साक्षी ने देख कर बताया कि यह गिरफ्तारी प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार कराया गया है जिस पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया तथा अभियुक्त ओरी पुत्र रामदीन को दिनांक

30–09–21 को गिरफतार किया गया था। गिरफ्तारी प्रपत्र जो कागज सं0 10ख / 21 है उस पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सील मोहर लगा हुआ आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय के आदेश से पक्षकारों की उपस्थिति में सभी सील देखे गये सील दुरूस्त अवस्था में है। सील को खोला गया। सील बन्द कपड़े पर 208 सीरो–2 / एस0पी0 महराजगंज अपराध सं0–184 / 2021 थाना पुरन्दरपुर बनाम रमेश साहनी काले कलम से मोटे अक्षरों में लिखा गया है। बांस का डन्डा साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह वही बांस का डन्डा है जिसको चिनका देवी ने अपने घर में आगे–आगे चल कर बरामद कराया था जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया तथा राड जो सफेद कपड़े के अन्दर रखा हुआ है जिस पर मु0अ0सं0 184 / 21 धारा 498ए, 302, 201 भा0दं.0सं0 थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज लिखा हुआ है जिस पर अभियुक्त का हस्ताक्षर है और उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं तथा अन्य अधिकारीगण के हस्ताक्षर हैं को साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह वही राड है जिसे रमेश साहनी उर्फ जोगी ने बरामद कराया था इनकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया तथा जिस कपड़े में राड रख कर सील किया गया था उस पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया तथा जिस कपड़े में लकड़ी का डन्डा सील किया गया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिस पर अभियुक्ता चिनका का भी निशानी अंगूठा है जिस पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया।''

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''पंचायतनामा का अवलोकन मैंने किया है। पंचायतनामा के अंतिम पेज पर यह लिखा है कि महिला कान्सटेबिल प्रीति सिंह व पंचान जुगुरा देवी से मृतका के जिस्म के चोटों का निरीक्षण कराया गया तो कोई जाहिरा चोट नहीं दिखायी दे रही है। पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक का बयान मैंने दर्ज किया है। पोस्टमार्टम

और पंचायतनामा के चोटो के विरोधाभास के बारे में मैने चिकित्सक से नहीं पूछा था। अभियुक्तगण को गिरफतार करने के बाद मैने उनका जुर्म स्वीकारोक्ति कथन दर्ज किया था। मैंने मजिस्ट्रेट के समक्ष मुल्जिमान के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान के लिये रिपोर्ट दिया था लेकिन मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया इसलिये बयान नहीं दर्ज हुआ। आला कत्ल बरामदगी मैंने किया था। फर्द बनाया था परन्तु बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया था क्योंकि मैंने आवश्यक नहीं समझा। धारा 100 दं0प्र0सं0 का अनुपालन बरामदगी के समय मैंने आवश्यक नहीं समझा इसलिये नहीं किया क्योंकि अभियुक्तगण ने स्वयं आगे–आगे चल कर अपने घर के अन्दर से आला कत्ल निकाल कर दिया। अभियुक्त रमेश का सीडीआर जुगुरा देवी से मोबाइल से बात करने के सम्बन्ध में मैंने दौरान विवेचना एकत्रित नहीं किया है। धारा 34 की बढ़ोत्तरी मैंने अभियुक्त ओरी के न्यायिकत्तेर संस्वीकृति बयान के साक्ष्य के आधार पर की है। फर्द में मैंने बांस का रंग व वजन नहीं अंकित किया है। स्टील राड का वजन भी अंकित नहीं किया है। स्टील राड खोखला था या ठोस इसका उल्लेख फर्द में नहीं है। आला कत्ल एफएसएल मैंने नहीं भेजा मेरे बाद वाले विवेचक ने भेजा है। मृतका को कोई जाहिरा चोट नहीं थी और शव को नहर से बरामद किया था इसलिये मृतका का ब्लड सैम्पल नहीं हुआ था। मुझे याद नहीं है कि दौरान विवेचना मैं अभियुक्तगण के घर गया था या नहीं। मृतका के शरीर से बरामद चूड़ी आभूषण आदि मैंने दौरान विवेचना नहीं देखा। बांस का वजन इतने दिन बाद सूखने के कारण हल्का होना सम्भव है। गवाह रामदेव, दुर्गेश साहनी का बयान मैंने थाने पर दर्ज किया था, याद नहीं आ रहा है। गवाह को पर्चा नं0–7 पढ़कर सुनाया गया जिसमें अंकित है कि वादिनी मुकदमा स्वयं राजू पुत्र रामदेव और कोइली को लेकर थाने पर आयी थी, मैं यह निश्चित नहीं बता सकता कि गवाह रामदेव ही गवाह राजू का पिता है। लाश जहां पायी गयी थी वहां घटनास्थल पर मैं गया था। जब मैं पहुंचा तो लाश नहर में थी लाश औंधे मुंह थी या सीधी, मुझे याद नहीं है। नहर में आदमी के डूबने भर का

पानी था। नहर के पाट में पानी के नीचे मिटटी थीं जो लोग लाश निकाल रहे थे उनसे पूछा गया था कि नीचे पत्थर, लोहा लक्कड़ तो नहीं है तो उन्होंने बताया था कि मिट्टी है। इस पूछताछ का तस्किरा सी0डी0 में नहीं है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी स्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया गया है।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव एवं चुनौती से इनकार किया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी द्वारा विवेचना से सम्बन्धित तथ्यों के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया गया है। यह एक औपचारिक साक्षी है जिसका तथ्यगत साक्ष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

20– पी0डब्लू0–9 पुरूषोत्तम राव थानाध्यक्ष ने न्यायालय में दिनांक 10–09–2024 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''मैं दिनांक 10–08–2024 को बतौर थानाध्यक्ष थाना पुरन्दरपुर के पद पर कार्यरत था। मेरे थाने पर दर्ज मु0अ0सं0–184/2021 धारा 498ए, 302, 201 भा0दं0सं0/34 के सन्दर्भ में आला कत्ल बांस व लोहे की राड के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया था। उक्त माल परीक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त हुयी थी। दिनांक 06–08–2024 को पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा मुझे थानाध्यक्ष को उक्त एफ एस एल रिपोर्ट के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश थाना कार्यालय पुरन्दरपुर में आकर मुझें एस0ओ0 को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन मेरे द्वारा करते हुये पूरक पर्चा नं0–1 दिनांक 10–08–2024 को मेरे द्वारा किता किया गया। परीक्षण रिपोर्ट पत्रांक 208 पार्ट नं0–155483 अपराध सं0 184/2021 धारा 498ए, 302, 201/34 भा0दं0सं0 राज्य बनाम रमेश साहनी में प्रदर्श सं0–1 स्टील की राड वस्तु, वस्त्रावृत प्रदर्श सं0–2 डन्डा बांस, वस्त्रावृत्त परीक्षण परिणाम वस्तु सं0 1 व 2 पर रक्त पाया गया। रक्त के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु बैजीडीन परीक्षण प्रयोग में लाया गया। रक्त की पुष्टि के लिये क्रिस्टल परीक्षण प्रयोग मं लाया गया। वस्तु सं0–1 पर मानव रक्त पाया गया। वस्तु सं0–2 पर रक्त वियोजित पाया गया जिसका

उल्लेखै था। पत्रावली में शामिल कागज सं0–62क विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर की रिपोर्ट साक्षी को दिखाया गया तो बताया कि यह वही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है जिसका अवलोकन कर मेरे द्वारा पूरक पर्चा सं0–1 किता किया गया जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया।''

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''जिस समय आला कत्ल राड स्टील व बांस विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिये भेजा गया था, उस समय मैंने नहीं भेजा था। बांस के डन्डे व स्टील राड की बरामदगी भी मेरे सामने नहीं हुयी थी। मेरे पास जांचोपरान्त बांस का डन्डा व स्टील राड नहीं आया था। बल्कि जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुयी थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच करने वाले अधिकारी का बयान मैंने पूरक पर्चा–1 में नहीं किया था। मृतका का कोई ब्लड सैम्पल लाठी व राड से मिलान के लिये रखा गया था या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। एफ एस एल रिपोर्ट की कापी दिनांक 06–08–2024 और 210–08–2024 के बीच मुझे प्राप्त हुआ होगा। जांच रिपोर्ट जिस लाठी व राड पर लगे रक्त के सम्बन्ध में है वह जांच किस तिथि को किया गया और घटना के कितने बाद किया गया इसका कोई वर्णन एफ एस एल रिपोर्ट में नहीं है। समय बीतने के साथ–साथ ब्लड सैपल पर क्या असर होता है और जांच के परिणाम का क्या प्रभाव पड़ता है इसका कोई वर्णन एफ एस एल रिपोर्ट पर नहीं है। जांच रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जो रक्त का निशान लाठी पर पाया गया वही किस ब्लड ग्रुप का था और यह भी अंकित नहीं है कि मृतका का कोई ब्लड सम्पल दौरान विवेचना मिलान हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा जांच किये गये लाठी व स्टील राड का कोई मुआइना नहीं किया गया। यह भी कहना सही है कि जांच रिपोर्ट के सत्यापन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा जांचकर्ता विशेषज्ञ का बयान अंकित नहीं किया गया। जो जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुयी थी वह दिनांक 20–07–2024 को हस्ताक्षरित व दिनांकित है।''

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी द्वारा आला कत्ल बांस का डन्डा एवं लोहे की राड को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है। यह एक औपचारिक साक्षी है जिसका तथ्यगत साक्ष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

21– पी0डब्लू0–10 सत्येन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक ने न्यायालय में दिनांक 27–09–2024 को शपथ पर दिये गये अपने मुख्य बयान में कहा है कि ''दिनांक 01–10–2021 को पर्चा नं0–10 में इस मुकदमें के पूर्व के विवेचक रवि कुमार राय के स्थानान्तरण होने का उल्लेख है। प्रभारी निरीक्षकरवि कुमार राय का थाना पुरन्दरपुर से स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् मैं दिनांक 02–10–2021 को थानाध्यक्ष पुरन्दरपुर के पद पर नियुक्त हुआ तथा दिनांक 03–10–2021 को उपरोक्त मुकदमें की विवेचना ग्रहण करते हुये पर्चा नं0–11 किता किया जिसमें पूर्व के विवेचकों द्वारा किता किये गये पर्चे का अवलोकन किया। दिनांक 23–10–2021 को पर्चा नं0–12 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें पंचायतनामा के गवाहान महेन्द्र उर्फ पप्पू का बयान तथा वादिनी मुकदमा जुगुरा देवी का मजीद बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया तथा उसी दिनांक को पंचानामा व पी0एम0 कराने वाले कान्सटेबिल संजय यादव, होमगार्ड दुर्गेश चौहान व महिला कान्सटेबिल प्रीति सिंह का बयान लेकर केस डायरी में अंकित यिका। दिनांक 08–11–2021 को पर्चा नं0–13 किता किया गया जिसमें बाइस्तबा ननद मेनका पुत्री ओरी, श्रीमती रीमा उर्फ सेनका तथा गवाह राजू कनौजिया उर्फ पेन्टर का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल स्टील की राड व बांस के डन्डे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिनांक 30–10–2021 को विशेष वाहक कान्सटेबिल मिथलेश कुमार सिंह द्वारा प्राप्त कराया गया था। लाट नं0 983 पर विधि विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में परीक्षण हेतु दाखिल किया गया। उक्त डाकेट की पावती रसीद दिनांक 02–11–2021 को थाना कार्यालय में दाखिल किया गया था जिसका तस्किरा केस डायरी में है। अब तक की तमामी विवेचना, पूर्व विवेचकों द्वारा किता किये गये पर्चो

का अवलोकन, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनासथल , अवलोकन पी0एम0, पंचायतनामा के आधार 306 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी व 302, 201 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी तथा अन्य सम्भावित साक्ष्यों, बरामदगी आला कत्ल के आधार पर नामित अभियुक्त रमेश साहनी उर्फ जोगी पुत्र ओरी साहनी, चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही, ओरी साहनी निवासी सेमरा महराज थाना पुरन्दरपुर जिला महराजगंज के विरूद्ध जुर्म धारा 498ए, 302, 201 / 34 भा0दं0सं0 का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप दिनांक 08–11–2021 माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। यह आरोप पत्र कम्प्यूटर आपरेटर से बोल कर टाइप कराकर न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0 3क / 1 ता 3क / 8 को साक्षी ने देख कर बताया कि यह आरोप पत्र मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोल कर टाईप कराकर न्यायालय प्रेषित किया गया था जिस पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया।

दिनांक 04–10–2024 को बचाव पक्ष की ओर से साक्षी सत्येन्द्र कुमार रासय प्रभारी निरीक्षक की प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि '' मैंने पर्चा नं0–11 से विवेचना प्रारम्भ किया है। पूर्व की विवेचना में जो साक्ष्य आना शेष रहता है, उसी से आगे विवेचना की जाती है। पूर्व की विवेचना का अवलोकन कर जो तथ्य छूटा रह गया उसी के सम्बन्ध में आगे की विवेचना की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा गया यह तथ्य कि ''रात में ग्यारह बजे मेरे दामाद ने मेरे पास फोन किया था कि ''के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दौरान विवेचना कोई सी0डी0आर0 मोबाइल लोकेशन का साक्ष्य संकलन नहीं किया गया था। मेरे द्वारा महेन्द्र उर्फ पप्पू का साक्ष्य संकलन किया गया था। जिसमें महेन्द्र ने बताया था कि ''देखने से मृतका की मौत बरसाती पानी से डूबने से दब घुटने के फलस्वरूप होना प्रतीत हो रहा था।'' आला कत्ल की बरामदगी स्थल का कोई नक्शा नजरी मेरे द्वारा नहीं बनाया गया था और न ही मैं बरामदगी स्थल पर गया था। आला कत्ल पर लगे खून का मैंने अलग से कोई सैम्पल नहीं रखा था। आला कत्ल जहां मैंने विधि

विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा था उसका वजन नहीं कराया था। मुकदमें से सम्बन्धित घटना व समय पर अभियुक्तगण का लोकेशन कहां था, इस समबन्ध में मेरे द्वारा कोई सीडीआर नहीं लिया गया था। आरोप पत्र के क्रम सं0–24 पर मुकदमें का परिणाम नामक शीर्षक अंकित है जिसके आगे कोई विवरण अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय निर्णय करेगी। आरोप पत्र की क्रम सं0–19 पर दौरान विवेचना संकलित किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों की संख्या वर्णित करने का कालम है परन्तु इसमें भी कोई डाटा नहीं लिखा गया, रिक्त है। अज खुद कहा कि विवेचना के दौरान जो साक्ष्य संकलित किया गया है उसका उल्लेख उसी पर्चे पर संकलन किया गया है।'' साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाओं से इनकार किया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी इस केस की विवेचना का साक्षी है जिसके द्वारा विवेचना से सम्बन्धित तथ्यों के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया गया है। यह एक औपचारिक साक्षी है जिसका तथ्यगत साक्ष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

22– बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी–डी0डब्लू0–1 विनोद सिंह ने दिनांक 13–11–2024 को न्यायालय में दिये गये अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि ''रमेश जोगी मेरे गांव के रहने वाले हैं। 21–08–2021 तारीख घटना के समय मेरी पत्नी गांव की प्रधान थीं। गांव में कभी इस बात की शिकायत नहीं आयी कि अभियुक्त रमेश, ओरी और चिनका अपनी बहू सिरजावती को काला रंग होने अथवा दहेज के लिये कभी गाली दिये हों अथवा प्रताड़ित किये हों। गांव के लोग नहर में सिरजावती की लाश मिलने पर इकटठा हो गये थे। मैं भी वहां गया था। 21–08–2021 के एक हफ्ता पहले से सिरजावती मायके में थी मेरे सामने पुलिस ने कोई डन्डा वगैरह रमेश के घर से बरामद नहीं किया था। गांव के लोग कह रहे थे कि सिरजावती अपने मायके में थी, वहां पचासों लोग एकत्रित होकर कह रहे थे।''

अभियोजन की ओर से से साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि मैं सिरजावती व रमेश की शादी का दिन, दिनांक, सन् महीना नहीं बता सकता। आज से चार–पांच साल पहले हुयी थी फिर कहा सात–आठ साल पहले हुयी थी। मेरा घर रमेश जोगी के घर से पांच सौ मीटर की दूरी पर है। रमेश जोगी के घर के लोगों को मैं अपने घर से आते–जाते घटना के समय एक–दो बार देखा था। गांव में किसकी बहू कब मायके जाती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं हो पाती है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नाम नहीं बता पाऊंगा जिसने यह कहा हो कि सिरजावती घटना के पूर्व मायके में थी। सिरजावती का शव मिलने के एक माह पूर्व मैं रमेश साहनी के घर पर शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में आधार कार्ड व पासबुक लेने गया था। उस समय सिरजावती ससुराल में थी। रमेश के घर पर होने वाली बातचीत जब कोई बतायेगा तब मुझे पता चलेगा मैं अपने से नहीं जान सकता कि रमेश के घर में क्या हो रहा है। सिरजावती की मृत्यु की सूचना उसी दिन नहीं मिली थी। जब लाश मिली हुयी थी। सिरजावती के पति रमेश साहनी को भली भांति जानता हूं, वह मेरे पक्ष में नहीं है। उसी के पिताजी के कहने पर गवाही देने आया हूं। रमेश साहनी इस घटना के विषय में मुझे कोई सूचना नहीं दिये थे। थाने पर भी रमेश साहनी घटना के बाबत् कोई सूचना नहीं दिये थे।''

इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त होता हो।

23– डी0डब्लू0–2 रामदेव ने दिनांक 05–12–2024 को न्यायालय में दिये गये अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि ''चिनका, रमेश और ओरी को मैं जानता हूं। उनका घर मेरे घर से 20 कदम की दूरी पर है। ओरी की बहू सिरजावती की लाश गांव से 7 किलोमीटर दूर नहर में मिली थी। यह मैं जानता हूं। इस घटना से एक सप्ताह पहले मृतका सिरजावती

अपने मायके गयी थी। गांव के सभी लोग बता रहे थे और मैं भी ओरी के घर की ओर से रोज निकलता हूं इसलिये जानता हूं। रमेश ओरी और चिनका द्वारा कभी दहेज अथवा रंग रूप के लिये सिरजावती को मारते–पीटते या परेशान नहीं करते थे। सुखपूर्वक परिवार चल रहा था। रमेश व सिरजावती के तीन बच्चे भी हैं। दरोगा जी ने कभी मेरा बयान नहीं लिया था और न मुझसे मिले थे। मृतका सिरजावती को रमेश, ओरी व चिनका ने मारा पीटा नहीं था बल्कि पुलिस ने गलत तरीके से फंसा दिया, यह बात पूरा गांव जानता है।''

अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''जिस समय घटना घटित हुयी थी ग्राम सेमरा महराज के ग्राम प्रधान विनोद सिंह थे। विनोद सिंह से मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। इस फाइल में विनोद सिंह बयान देकर गये थे तो मुझसे बातचीत नहीं किये थे। मुझे जानकारी नहीं है कि विनोद सिंह इस मामले में बयान दिये हैं या नहीं। इस मुकदमें में रमेश, चिनका, ओरी अभियुक्त हैं। मुझे जानकारी नहीं है। फिर कहा कि इन तीनों लोगों के खिलाफ यह मुकदमा चल रहा है, मुझे जानकारी है। जिस समय जिस रात को यह घटना घटित हुयी थी उस समय मैं बाहर था फरेन्दा में काम कर रहा था। शाम को घर आ गया था। फिर कहा कि मैं 8–9 बजे काम करके घर गया था। मैं घटना की रात में अभियुक्त रमेश साहनी, चिनका और ओर से नहीं मिला था। दूसरे दिन मृतका की लाश गांव के करीब नहर की तरफ मिली थी। गांव वाले जा रहे थे तो मैं भी वहां जाकर देखा था। रमेश चिनका और ओरी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि घटना के समय तीनों मुल्जिम एक साथ थे कि नहीं। मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। यह कहना गलत है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं और आज न्यायालय गवाही देने आया हूं। फिर कहा कि मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। मेरा घर रमेश के घर से 10 कदम की दूरी पर है। मैं घटना के पहले सामने घर होने के नाते एक दूसरे को देखता था। मैं हाल चाल पूछता था। रमेश साहनी

के घर से हमारी मित्रता है कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है।'' साक्षी ने अभियोजन की ओर से दिये गये सुझाओं से इनकार किया।

इस प्रकार इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस साक्षी ने घटना को घटित होते हुये नहीं देखा और वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है।

24— डी0डब्लू0—3 दुर्गेश साहनी ने दिनांक 09—01—2025 को न्यायालय में दिये गये अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि ''मैं ओरी, चिनका व रमेश के गांव का ही रहने वाला हूं। मेरे घर से रमेश के घर की दूरी करीब 100 मीटर है। उनके घर के रास्ते ही, मैं आता—जाता हूं। रोज का आना जाना है। मैने गांव में कभी नहीं सुना कि रमेश, चिनका, ओरी कभी भी अपनी बहू सिरजावती को दहेज अथवा रंग रूप के लिये कभी प्रताड़ित किये हों। उनके घर कभी झगड़ा वगैरह मैंने कभी नहीं सुना था। जिस समय सिरजावती की लाश नहर में पायी गयी, गांव के सब लोग कह रहे थे कि सिरजावती कुछ समय पूर्व से अपने मायके में थी। इस सम्बन्ध में दरोगा जी कभी कोई पूछताछ नहीं किया थे। गांव में सभी लोग कह रहे थे कि रमेश, चिनका, ओरी ने सिरजावती को नहीं मारा था। उन्होंने इस तरह की कोई घटना नहीं की थी।''

अभियोजन पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''मैं अपनी जीविका के लिये ड्राइवरी का पेशा करता हूं। ट्रक चलाता हूं। <u>घटना दिनांक 21—08—2021 की है। मैं घर पर नहीं था। फिर कहा कि मुझे घटना की डेट मुझे नहीं पता है। सिरजावती अपने ससुराल से मायके कब गयी थी, मैंने नहीं देखा था। लोगों के बताने के आधार पर बता रहा हूं</u>। मैं किसी ऐसे आदमी का नाम नहीं बता सकता जिसने मुझे यह बताया हो कि उसने सिरजावती को उसके ससुराल से मायके जाते देखा हो। मेरा घर अभियुक्त रमेश जोगी के घर से 100 मीटर दूर है। रमेश जोगी के घर में जो बातचीत होती है वह मुझे सुनाई नहीं देती है। मुझे

व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। लोगों के बताने के आधार पर मैंने गवाही दी है। आज मैं ओरी के साथ गवाही देने आया हूं।

इस प्रकार इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने जो साक्ष्य दिया है वह कुछ लोगों के बताने के आधार पर दिया है अतः इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्तगण को कोई लाभ नहीं मिलता है।

25– बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि:–

1–प्रस्तुत मामले के घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है।

2– मृतका घटना के समय अपने मायके में ही थी, ऐसे में विचारित अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

3– विचारित अभियुक्तगण के पास मृतका की हत्या करने का कोई हेतुक और नही ही रहा।

4–प्रस्तुत मामले में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

5– अभियोजन की ओर से जो भी तथ्य के साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी हितबद्ध साक्षी हैं ऐसे में उनके साक्ष्य को ग्राह्य नहीं माना जा सकता है।

26– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–9 के अनुसार दिनांक 21–08–2021 के रात की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23–08–2021 को 12:50 बजे दर्ज करायी गयी है। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–21 वादिनी मुकदमा जुगुरा देवी जो कि मृतका की मां है ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि ''जब मेरी लड़की को मारे–पीटे थे तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुबह आयेंगे तब समझायेंगे–बुझायेंगे। मैं दूसरे दिन सिरजावत के घर सुबह 9:00 बजे पहुंची तो उसके घर पर कोई नहीं था। तब मैं अपने लड़की की खोजबीन करने के बाद अपने घर चली आयी।

फिर मुझे लड़की के गांव के लोग बताये कि आपकी लड़की सिरजावती को मार कर नहर में फेंक दिया है। उसी दिन मैं गयी तो देखी कि मेरी लड़की की लाश नहर में पड़ी थी। वहां पुलिस भी पहुंची थी और मृतका की लाश नहर में मिलने के बाद वादिनी द्वारा तत्काल दिनांक 23–08–2021 को थाना पुरन्दरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है और दिनांक 23–08–2021 को ही 13:30 बजे से 14:30 बजे के बीच में मृतका के शव का पंचायतनामा पुलिस द्वारा किया गया। इस प्रकार मृतका की लाश मिलने के तत्काल बाद वादिनी जुगुरा देचवी द्वारा घटना के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देते हुये थाना पुरन्दरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जिसमें कोई विलम्ब नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से दिया गया यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, महत्वहीन हो जाता है और बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

27– पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जैसा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है। प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और मामले में इसी के दृष्टिगत साक्ष्य की मीमांसा की जानी है।

28– विधि व्यवस्था पदालावीरा रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 पृष्ठ 79 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाद जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता हो तब उस साक्ष्य से निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान होना चाहिए–

1–परिस्थितियां जिनसे दोष के निष्कर्षो को निकाले जाने का प्रयास किया गया है, वह तथ्य पूर्ण ढ़ंग से दढ़ता के साथ स्थापित किये जाने चाहिये।

2–वह परिस्थितियां ऐसी निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करें।

3– परिस्थितियों जब संचयी रूप से ली जाय तो उनसे श्रृंखला का इतना पूर्ण गठन होना चाहिये कि यह निष्कर्ष अनिवार्य हो जाय कि सम्पूर्ण मानवीय अधिसम्भाव्यता में अभियुक्त द्वारा ही, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध को कारित किया गया था।

4–दोषसिद्ध का समर्थन करने के उद्देश्य से परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना पूर्ण होना चाहिये और अभियुक्त के दोष की परिकल्पना को छोड़कर अन्य किसी परिकल्पना के स्पष्टीकरण के अयोग्य होना चाहिये, ऐसा साक्ष्य अभियुक्त के दोष से न केवल सुसंगत होना चाहिये बल्कि उसे उसकी निर्दोषिता से भी असंगत होना चाहिये।

विधि व्यवस्था सी0 चैंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 1996(10) ए0सी0सी0 पृष्ठ 193 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद में यह स्थापित विधि है कि परिस्थितियों जहां से दोष के निष्कर्ष निकाली जाती है, पूर्णतः सिद्ध की जानी चाहिये। ऐसी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिये। तदोपरान्त सभी परिस्थितियों पूर्ण होनी चाहिये एवं साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अन्तराल नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त सिद्ध की गयी परिस्थितियों अभियुक्त के दोष की परिकल्पना से सुसंगत व अनिवार्य है और वह उसकी निर्दोषिता से पूर्णतः असंगत होनी चाहिये।

विधि व्यवस्था रामभरोसे बनाम उ0प्र0राज्य 2010 एस0सी0सी0 कि0 पृष्ठ 904 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य की ग्राह्यता के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की ग्राह्यता जो व्यक्ति वैमनस्यता की भावना से या सम्पत्ति के विवाद के कारण किसी व्यक्ति को येन–केन–प्रकारेण दोषसिद्ध कराने का कटिबद्ध है, हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आयेगा, केवल इसी आधार पर ही कि साक्षी मृतका के निकट सम्बन्धी हैं, उन्हें हितबद्ध साक्षी

नहीं माना जायेगा। किसी भी साक्षी की साक्ष्य को केवल हितबद्धता के आधार पर ही अमान्य या अनदेखा नहीं किया जा सकता बल्कि अनिवार्य यह होगा कि ऐसे साक्षी की साक्ष्य को स्वीकार करने से पूर्व उसके साक्ष्य की मीमांसा अत्यन्त सावधानी से की जाय, अतः उपरोक्त विधिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य में यही स्पष्ट हो जाता है कि साक्षी के साक्ष्य को केवल हितबद्धता के आधार पर ही तिरस्कृत अथवा अमान्य नहीं किया जा सकता बल्कि ऐसी अवस्था में न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह निकट सम्बन्धी साक्षियों के साक्ष्य की अत्यन्त सावधानीपूर्वक मीमांसा करे।

29– बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी सं0–1 जुगुरा देवी जो कि इस केस की वादिनी एवं मृतका सिरजावत की मां है ने प्रदर्श क–1 में यह उल्लेख किया है कि ''दिनांक 21–08–2021 को रात में लगभग 11 बजे उसके दामाद ने उसकी बेटी से झगड़ा किया था और जब वादिनी ने कहा कि उसकी बेटी से बात कराओ तो उसके दामाद ने वादिनी को रात में फोन किया था। दिनांक 21–08–2021 को करीब 11 बजे रात में जब वादिनी के दामाद ने वादिनी की बेटी से बात कराया तो उसकी बेटी ने बताया कि उसकी सास चिनका देवी, ससुर ओरी एवं पति रमेश ने उसे मारा पीटा है और पहले भी उसकी बेटी के उपरोक्त ससुराल वाले वादिनी की बेटी का रंग रूप खराब बताते हुये मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा मारते–पीटते थे वादिनी को सन्देह है कि हो सकता है कि उसकी बेटी की ननद भी इस काम में साथ देती हो। वादिनी ने कहा कि आज की रात बीत जाने दो सुबह हम लोग तुम्हारे ससुराल सेमरा महराज आयेंगे। कल वादिनी आदि लोग दोपहर में अपनी लड़की के ससुराल सेमरा महराज गये तो उसकी लड़की ससुराल में नहीं मिली। यह लोग अभी खोजबीन कर ही रहे थे कि सूचना मिली कि वादिनी की लड़की मृत पड़ी है।'' इस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा के **बयान में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि** ''मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी

सुबह आयेंगे तब समझायेंगे—बुझायेंगे। मैं दूसरे दिन सिरजावती के घर सुबह 9:00 बजे पहुंची। उसके घर पर कोई नहीं था।''

30— इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि घटना के समय मृतका सिरजावत अपने ससुराल अर्थात विचारित अभियुक्तगण के घर पर ही थी। इसके विपरीत विचारित अभियुक्तगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित होता हो कि घटना के समय मृतका सिरजावत अपने मायके में थी।

31— अभियोजन साक्षी सं0—1 जुगुरा देवी जो कि मृतका की मां के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि उसकी लड़की मृतका सिरजावती से विचारित अभियुक्तगण जो कि मृतका के क्रमशः पति, सास एवं ससुर हैं, के द्वारा दहेज में दो लाख रूपये की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जाता रहा है। यद्यपि इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादिनी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह कथन किया गया है कि मृतका ने केवल उसी दिन दहेज मांगने की बात अपनी से बतायी थी, इसके पूर्व उसने कभी दहेज मांगने की बात नहीं बतायी थी। चूंकि मृतका के दो बच्चे रहे हैं और कोई भी महिला विवाह के उपरान्त यह नहीं चाहती है कि ससुराल में उसके साथ हो रहे किसी तरह की प्रताड़ना को लेकर वह हर पल अपने मायके में अपने माता—पिता को अवगत कराकर उन्हें निरन्तर दुःखी करे। ऐसे में यदि मृतका द्वारा अपने मायके में अपनी मां को अपने ससुरालीजन द्वारा की जा रही प्रताड़ना के बारे में घटना से ठीक पूर्व ही प्रथम बार अवगत कराया गया तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके साथ विचारित अभियुक्तगण द्वारा घटना से ठीक पूर्व दहेज में दो लाख रूपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित नहीं किया गया।

32— प्रदर्श क—12 फर्द बरामदगी आला कत्ल एक अदद डन्डा एवं एक बदद स्टील का राड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक

द्वारा दिनांक 27–08–2021 को अभियुक्ता चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही की निशानदेही पर उसके घर से आला कत्ल एक अदद डन्डा व एक अदद स्टील का राड समक्ष गवाहान विनोद सिंह व जुगुरा देवी, बरामद किया गया है। इस सम्बन्ध में जुगुरा देवी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि ''स्टील का राड व डन्डा रमेश और चिनका देवी ने निकाल कर पुलिस को दिया था।'' इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर रंच मात्र भी सन्देह किया जा सके।

33– जहां पर मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, उस मामले में हेतुक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि ऊपर की गयी विवेचना से यह तथ्य सुस्थापित है कि विचारित अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दो लाख रूपये के दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता रहा और अभियोजन साक्षी सं0–1 जुगुरा देवी जो कि मृतका की माता है के साक्ष्य से यह भी स्थापित है कि घटना से ठीक पूर्व मृतका ने उसको यह बताया था कि विचारित अभियुक्तगण द्वारा उसे दहेज में दो लाख रूपये की मांग को लेकर निरन्तर प्रताड़ित किया जाता रहा है। अतः अभियुक्तगण के पास मृतका की हत्या करने का हेतुक विद्यमान रहा।

34– अभियोजन साक्षी सं0–7 डा0 वीरेश गुप्ता के साक्ष्य से यह साबित है कि उनके द्वारा दिनांक 23–08–2021 को मृतका सिरजावत के शव का पोस्टमार्टम किया गया और उनके द्वारा मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व की कुल 07 चोटें पायी गयी हैं और इस साक्षी ने मृतका की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व उसके सिर पर आयी चोट से उत्पन्न कोमा होना साबित किया गया है।

35– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, साक्ष्य के किये गये उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1– यह कि प्रस्तुत मामले के घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका की लाश नहर में मिलने के बाद मृतका की मां अर्थात वादिनी मुकदमा जुगुरा देवी द्वारा तत्काल दिनांक 23–08–2021 को थाना पुरन्दरपुर में दर्ज करायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

2–यह कि मृतका घटना के समय अपने ससुराल में ही थी।

3–यह कि वादिनी मुकदमा जुगुरा देवी की पुत्री मृतका सिरजावत की शादी दिनांक 21–08–2021 से 10 वर्ष पूर्व अभियुक्त रमेश साहनी उर्फ जोगी जो कि अभियुक्तगण चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही एवं ओरी साहनी का पुत्र है के साथ हुयी थी

4–यह कि मृतका की मत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्तगण के द्वारा दहेज में दो लाख रूपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा।

5–यह कि दिनांक 21–08–2021 को किसी समय विचारित अभियुक्तगण के द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अपने ही घर में मृतका के सिर पर चोटें पहुंचा कर साशय उसकी हत्या कारित की गयी।

6– यह कि मृतका की हत्या कारित करने के पश्चात उसके शव को यह जानते हुये कि वह उसकी हत्या का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, को विलोपित करने के आशय से गांव के पास स्थित निर्माणाधीन सरजू नहर में छिपा दिया।

7–यह कि अभियुक्तगण के पास मृतका की हत्या करने का पर्याप्त हेतुक था।

8–यह कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी मृतका सिरजावत की मृत्यु से पूर्व उसे चोटें पहुंचाये जाने और उसके सिर में आयी चोट से उसकी मृत्यु होने का तथ्य पूर्ण रूप से साबित है।

9–यह कि विचारित अभियुक्तगण द्वारा मृतका सिरजावत जो कि उनकी क्रमशः पत्नी एवं पुत्रवधू थी की हत्या उनके घर रहते हुये कारित की गयी है। प्रस्तुत मामले में जो परिस्थितियों विद्यमान है वे सिर्फ और सिर्फ

विचारित अभियुक्तगण की ओर ही इशारा करती हैं न कि किसी अन्य की ओर लेशमात्र भी इशारा करती हैं।

10–यह कि पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–15 के अवलोकन से विदित है कि विचारित अभियुक्तगण रमेश एवं चिनका देवी की निशानदेही पर उनके घर से बरामद स्टील की राड पर मानव रक्त पाया गया है।

11–यह कि पी0डब्लू0–7 डा0 वीरेश गुप्ता जिसके द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया है, के द्वारा मृतका के सिर पर चोट पाये जाने का स्पष्ट बयान दिया गया है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विचारित अभियुक्तगण के घर से बरामद आला कत्ल स्टील राड पर मानव रक्त पाया गया है। पोस्टमार्टम किरने वाले चिकित्सक के अनुसार मृतका के सिर पर आयी चोट के परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु होना साबित किया गया है।

36– विचारित अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तीनों बचाव साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना निर्णय के पूर्व भाग में की जा चुकी है अतः पुनः उनके सम्बन्ध में पृथक से किसी अन्य विवेचना एवं निष्कर्ष की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तीनों बचाव साक्षियों के साक्ष्य से विचारित अभियुक्तगण को कोई लाभ नहीं मिलता है।

37– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, साक्ष्य के किये गये उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध है कि विचारित अभियुक्तगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** द्वारा दिनांक 21–08–2021 से 10 वर्ष की अवधि में विभिन्न समय पर स्थान ग्राम सेमरा महराज थाना पुरन्दरपुर जिला महराजगंज में मृतका सिरजावत उर्फ सिरजावती जो कि विचारित अभियुक्तगण की कमशः पत्नी एवं पुत्रवधू रही, को दहेज में दो लाख रूपये की मांग को लेकर घटना से तत्काल पूर्व तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और

विचारित अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 21–08–2021 को रात में किसी समय उसके सिर पर लोहे की राड व बांस के डन्डे से मारपीट कर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में चोटें पहुंचाकर साशय सिरजावती की हत्या कारित की गयी और उक्त अपराध के साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से मृतका के शव को गांव के बाहर स्थित निर्माणाधीन सरजू नहर में फेक दिया गया। इसलिये विचारित अभियुक्तगण लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498–ए, 302 सपठित धारा 34 एवं 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

आदेश

38– विचारित अभियुक्तगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** में से प्रत्येक को धारा 498–ए, 302 सपठित धारा 34 एवं 201 भा0दं0सं0 के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

39– सिद्धदोषीगण चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी जेरे जमानत व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित है। उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए। उनके व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त करते हुये प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। जबकि सिद्ध दोषी रमेश साहनी उर्फ जोगी न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित है।

40– पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 12–12–2025 को पेश हो।

दिनाँकः 11–12–2025

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी01904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।

12–12–2025

41– पत्रावली आज दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुयी। सिद्धदोषीगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित हैं।

42– सिद्धदोषीगण एवं अभियोजन पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

43– सिद्धदोषीगण की ओर से कहा गया है कि वे अत्यन्त गरीब व्यक्ति है, उसका यह प्रथम अपराध है। इसके पूर्व उनको किसी अपराध हेतु दोष सिद्ध नहीं किया गया है। उनका प्रथम अपराध होने के कारण उन्हें कम से कम दण्ड दिया जावे।

44– अभियोजन पक्ष की ओर से सिद्धदोष को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी और कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कमशः अपनी पत्नी एवं पुत्रवधू को दो लाख रूपये दहेज की मांग को लेकर उसके मृत्यपूर्व तक की अवधि मे प्रताड़ित किया गया और उसको अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गयी और किये गये अपराध के साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उसके शव को निर्माणाधीन नहर में फेंक दिया गया। जो यह दर्शाता है कि अभियुक्तगण कितने कठोर कुटिल एवं अमानवीय प्रकृति के व्यक्ति हैं और उनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है।

45– प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। सिद्धदोषीगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** के किसी पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है, इसलिये उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के अन्य समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि सिद्धदोषीगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** में से प्रत्येक को धारा–498–ए के आरोप के अपराध हेतु 03–03 के कारावास एवं अंकन

5,000–5,000 / –रूपये (पांच–पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड, धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 20,000–20,000 / –रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 03–03 वर्ष (तीन–तीन वर्ष) के कारावास एवं अंकन 5,000–5,000 / –रूपये (पांच–पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी, तद्नुसार उन्हें निम्नवत् दण्डित किया जाता हैः–

दण्डादेश

46– सिद्धदोषीगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** में से प्रत्येक को धारा–498–ए भा0दं0सं0 के आरोप के अपराध हेतु 03–03 वर्ष के कारावास एवं अंकन 5,000–5,000 / –रूपये (पांच–पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड, धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 20,000–20,000 / –रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 03–03 वर्ष (तीन–तीन वर्ष) के कारावास एवं अंकन 5,000–5,000 / –रूपये (पांच–पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। सिद्धदोषीगण द्वारा उपरोक्त धारा–498–ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में प्रत्येक को 03–03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 06–06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, तथा धारा 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 03–03 माह के अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी। सिद्धदोषीगण द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित की जायेगी। जुर्माने की धनराशि के अदायगी के व्यतिक्रम की अवधि को छोड़कर सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

47– सिद्धदोषीगण **रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्न पुराही एवं ओरी साहनी** का सजायाबी वारन्ट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिये जिला कारागार भेजा जाये।

48– मामले से सम्बन्धित वस्तु प्रदर्श का निस्तारण अपील की अवधि समाप्ति अथवा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाये।

49– अभियुक्तगण की ओर से धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल बन्धपत्र एवं प्रतिभूपत्र आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

50– सिद्धदोषीगण को निर्णय की एक–एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय।

दिनाँकः 12–12–2025

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी01904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 12–12–2025

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी01904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।

Digitally signed by ARVIND MALIK
Date: 2025.12.17 12:52:51 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court